10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
20 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

(1)

155

R 318-म/17

न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल महोदय
सम्भाग ग्वालियर म0प्र0।

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 23/1/17 को प्रस्तुत
23-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(1) रामप्रसाद पुत्र चुन्नीलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(2) बलवन्तसिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(3) रामसिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

......निगरानीकर्तागण

बनाम

(1) कलाबाई पुत्री चुन्नीलाल पत्नि धनीराम जाति कुशवाह निवासी बहादुरपुर परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(2) कस्तूरीबाई पत्नि रतनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़
23/1/17

(3) हरनामसिंह पुत्र रतनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(4) जगदीशसिंह पुत्र रतनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(5) राजूसिंह पुत्र रतनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(6) जगन्नाथसिंह पुत्र रतनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(7) गुड्डीबाई पुत्री रतनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(8) गुलाबबाई पुत्री रतनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

.......2......

(9) मानोबाई पुत्री रतनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।
(10)रघुवीरसिंह पुत्र मोकमसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।
(11)मोहनसिंह पुत्र मोकमसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।
(12)सुन्दरबाई पत्निमोकमसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।
(13)सुकियाबाई पुत्रीमोकमसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

......प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी आधीन धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं01959 विरूद्ध श्रीमान नायाब तहसीलदार महोदय परगना मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रंमाक 27अ3/2013-14में पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में सादर निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

(1) यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता क्रं. 1 कलाबाई के द्वारा अधिनस्थ न्यायालाय नायब तहसीलदार मुंगावली के न्यायालय में भूमि स्थित ग्राम रमपुरापिपरिया परगना मुंगावली सर्वे क्रं. क्रमशः 66, 95, 154, 158, 181, 206 कुल किता 6 कुल रकवा 6.753 हे. एवं ग्राम गीलारोपा स्थित भूमि सर्वे क्रं. 8 रकवा 1.379 हे. के संबंध में बटांकन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमे दौराने प्रकरण की कार्यवाही मे ग्राम पटवारी व राजस्व निरीक्षक के द्वारा बिना कब्जा के मनमाने तरीके से अक्स बटांकन प्रस्तुत किया गया था 'जिसके संबंध में निगरानीकर्तागण के द्वारा दिनांक 14.10.2016 को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिस पर उभयपक्ष को सुनने के पश्चात दिनांक 20.12.2016 को त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

........3........

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 318–दो/2017 जिला–अशोकनगर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा नायब तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 27/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.12.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 13/05/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 13/5/19 <u>कलेक्टर जिला अशोकनगर</u>	